न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मीनू वर्मा आर.ए.एस.
दावा बाबत आर0टी0ए0 88
प्रकरण संख्या– 151 /2019

1. रजीराम पुत्र मंगलाराम जाति बावरी निवासी 13 जीजीआर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ राज0।

वादी

बनाम्

1. तहसीलदार राजस्व टिब्बी। प्रतिवादी

उपस्थिति–श्री महावीर प्रसाद वर्मा अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

दिनांक :– 3-9-19

निर्णय

वादी ने प्रतिवादी के विरूद्व यह दावा बाबत् घोषणा के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि वादी के नाम से चकनं0 13 जीजीआर के खातासं0 244/209 जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 में कुल 1.518 है0 नहरी मय गै0मु0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।नकल जमाबन्दी संलगन वाद पत्र है। उक्त जमाबन्दी में मुझ वादी का नाम राजाराम अंकित है।

वादी का नाम रजीराम है लेकिन राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम राजाराम अंकित है। वादी के आधार कार्ड, राशनकार्ड, जाति प्रमाण पत्र आदि में वादी का सही नाम राजाराम अंकित है।वादी के समस्त दस्तावेजात में वादी का सही नाम रजीराम दर्ज होने तथा राजस्व रिकार्ड चक 13 जीजीआर के खाता सं0 244/209 में वादी का नाम राजाराम अंकित रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन हो रहा है व तथा वादी अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित हो रहा है। वादी को उक्त भूमि पर मिलने वाली सुविधाओं मे भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है व दोनो नामो में भिन्नता बनी रहती है। अतः वादी घोषणा इस आशय की प्राप्त करने का अधिकारी है कि चकनं0 13 जीजीआर के खाता सं0 244/209 में अंकित वादी के नाम राजाराम पुत्र मंगलाराम के स्थान पर वादी का सही नाम रजीराम पुत्र मंगलाराम अंकित करवाना चाहता है। नाम दुरूस्त करवाने से खातेदारी हक हकूक पर व राज्य हित पर कोई विपरीत प्रभाव नही पड़ेगा।

वादी ने प्रतिवादी को वादपत्र की दफा 2 में दर्ज में वादी का नाम दुरूस्त करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्ट्रर किया गया।प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया।प्रतिवादी स्टेट द्वारा अपना जबाबदावा पेश किया गया जिसमें स्टेट द्वारा कोई आपत्ति नही की गई, स्टेट द्वारा अंकित किया गया है कि वादी का नाम राजाराम के स्थान रजीराम नाम अंकित किया जाता है तो राज्यहित प्रभावित नही होते। प्रतिवादी स्टेट की ओर से प्रस्तुत जबाबदावा शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner

वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी की भूमि में वादी का नाम राजाराम दर्ज है जबकि वादी का सही नाम रजीराम है जिसकी ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक भी जारी की हुई है। इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में अपना नाम राजाराम के स्थान पर रजीराम दर्ज करवाना चाहता है जिसका स्टेट द्वारा कोई विरोध नही किया गया है। वादी के नाम की दुरूस्ती से राज्यहित प्रभावित नही होते है। वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री फरमाया जावे।

बहस सुनी गई।दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी वादी के नाम से दर्ज है, जिसमें वादी का नाम राजाराम नाम दर्ज है, वादी अपना सही नाम रजीराम दर्ज करवान चाहता है। वादी का वाद मात्र दुरूस्ती का है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है।उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि चकनं0 13 जीजीआर के खाता सं0 244/209 जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 मे अंकित वादी का नाम राजाराम को दुरूस्त कर राजाराम के स्थान पर रजीराम अंकित किये जाने आदेश दिये जाते है। उपरोक्त अनुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 3-9-19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मीनू वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी।

Scanned with CamScanner